



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या- 1884 -औ०सं०/2013-1-ए०एस०/2013

दिनांक 24 जून, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में विद्यमान श्रम/सेवा संगठन अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन विसंगति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी नीतिगत तथा व्यक्तिगत, सेवानिवृत्त देयो/पेंशन सम्बन्धी प्रकरणों को प्रबन्धन के समक्ष उठाते रहते हैं। समस्त संवर्गों के कर्मचारियों का आमेलन डिस्काम में किया जा चुका है फिर भी स्थानीय स्तर की सेवा सम्बन्धी व्यक्तिगत माँगों भी श्रम/सेवा संगठनों द्वारा डिस्काम स्तर पर न उठाकर कारपोरेशन (मुख्यालय) स्तर पर उठाई जाती है जबकि उन्हें परिपत्र संख्या-1495-औ०सं०/10-3ए/79 दिनांक 27.04.2010 द्वारा परामर्शित किया जा चुका है फिर भी श्रम/सेवा संगठनों द्वारा जल्दी-जल्दी अपनी माँगों के सम्बन्ध में उच्च प्रबन्धन (निदेशक/प्रबन्धक निदेशक) स्तर पर वार्ता कराये जाने की माँग की जाती है। अतः श्रम संघों की बैठकों हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

- (1) कारपोरेशन के मुख्य श्रम/सेवा संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 04 माह के अन्तराल पर वर्ष में अधिकतम 03 बैठके आयोजित की जायेगी। संघ/संगठन केवल ऐसे नीतिगत बिन्दु/माँगों प्रस्तुत करेंगे जिनका निराकरण कारपोरेशन (मुख्यालय) स्तर पर ही सम्भव हो।
- (2) कैडर/संवर्गीय श्रम/सेवा संगठनों के प्रतिनिधियों से आवश्यकतानुसार वर्ष में अधिकतम 02 बार बैठकें आयोजित की जायेगी। संघ/संगठन केवल ऐसे नीतिगत बिन्दु/माँगों प्रस्तुत करेंगे जिनका निराकरण कारपोरेशन (मुख्यालय) स्तर पर ही सम्भव हो।
- (3) डिस्काम स्तर पर स्थानीय सेवा सम्बन्धी, व्यक्तिगत व सेवानिवृत्तिक समस्याओं के निराकरण हेतु नियमित रूप से श्रम/सेवा संघों से वार्ताएँ कर संवाद बनाये रखने हेतु सभी डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक अपने स्तर पर बैठके/वार्ता कर संगठनों द्वारा प्रस्तुत बिन्दु/माँगों का निराकरण कारपोरेशन की नीति के अनुसार करें।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 1884 -(1) - औ०सं०/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- (2) निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेटर-प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- (4) मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (5) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- (6) समस्त अध्यक्ष/महामंत्री, श्रम/सेवा संगठन, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- (7) अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Personnel पर लोड करने हेतु।

(हस्ताक्षर)

(राधे मोहन)

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)